[illegible] 19.12.2016 को पेश की

तहसीलदार, रिंयां बड़ी
(बाड़मेर - राजस्थान)

19.12.2016 प्रश्नावली पेश की। गैर सरकारी [illegible] प्रश्नावली का अवलोकन किया संतोष से विचार उक्त प्रकार है कि पत्रावली [illegible] ग्राम पंचायत के खसरा नं. 128 रकबा 0.03.0.08=0.11 हे. भू. गोचर पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में गैर सरकारी [illegible] चौधाराम कोप पुत्र [illegible] ग्राम पंचायतों के विरुद्ध [illegible] रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर [illegible] राजस्थान पंचायत [illegible] 1953 की धारा 91 के तहत [illegible] गैर सरकारी के विरुद्ध [illegible] धारा (3) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैर सरकारी को बार बार नोटिस देने पर भी अनुपालना नहीं की गई। गैर सरकारी [illegible] के कब्जे से बाहर [illegible] इस सम्बन्ध में भू. अभिलेख [illegible] रिपोर्ट [illegible] अतिक्रमण का अंकन [illegible] कब्जे हेतु बाहर करना न्यायोचित। प्रश्नावली का अवलोकन किया गैर सरकारी राजकीय भूमि के भू. गोचर पर अतिक्रमण किया है। [illegible] राजकीय भूमि भू. गोचर पर अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमी [illegible] राजकीय भूमि भू. गोचर पर किए गये अतिक्रमण से अतिरिक्त व्यक्ति बेदखल करने एवं आरोपी के खाते का पंचायत खाता [illegible] 39/- (उनचालीस रुपये) कायम किये गये हैं। पंचायत ग्राम पंचायतों को अतिक्रमी द्वारा किये गये अतिक्रमण के अतिरिक्त व्यक्ति बेदखली एवं जुर्माना राशि की वसूली हेतु लिखा जाकर प्रश्नावली [illegible] कार्यवाही हेतु [illegible] को भेजी जाकर पत्रावली [illegible] कार्यालय से बाद है।

तहसीलदार, रिंयां बड़ी
(बाड़मेर - राजस्थान)

वर्ष 2073 रुपये 39/-
रा.ले. [illegible] 140 पर दर्ज की

तहसील [illegible], रिंयांबड़ी